जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
78/2016

मुन्तकिली प्रकरण सं0 78/2016 अनवानी श्री अजय ग्रेवाल पुत्र रूपेन्द्र बक्शी सिंह जाति जटसिख नि0 5ए छोटी हाल ले. कर्नल बठिण्डा जरिये मु.खास अभयबचन सिंह पुत्र रूपेन्द्रसिंह जाति जटसिख नि0 5 एस छोटी तह0 श्रीगंगानगर बनाम 1–गुरिन्द्रपाल सिंह पुत्र सतवंत सिंह नि0 5ए छोटी तह0 श्रीगंगानगर हाल आबाद धर्मकोट तहसील जीरा जिला मोगा 2–सरविन्द्रपाल सिंह 3–जसवंत कौर 4–उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

07.02.2017

प्रार्थी श्री अजय ग्रेवाल के अभिभाषक श्री सतीश कुमार गोसांई उपस्थित है। अप्रार्थी गुरन्द्रपाल सिंह व सरविन्द्रपाल सिंह के अभिभाषक श्री मोहनलाल माहर उपस्थित है। दोनो पक्षो के अभिभाषकगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक श्री मोहनलाल माहर का कथन है कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर में लम्बित वाद संख्या 27/2014 अनवानी अजय ग्रेवाल बनाम गुरिन्द्रपाल सिंह मय प्रा0 पत्र धारा 212 आरटीए संख्या 36/2014 अजय ग्रेवाल बनाम गुरिन्द्रपाल सिंह में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र इसी आधार पर खारिज किया जावे।

प्रार्थी के अभिभाषक को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है।

मैने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर में लम्बित वाद संख्या 27/2014 अनवानी अजय ग्रेवाल बनाम गुरिन्द्रपाल सिंह मय प्रा0 पत्र धारा 212 आरटीए संख्या 36/2014 अजय ग्रेवाल बनाम गुरिन्द्रपाल सिंह में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और वे कार्यमुक्त हो गये है। इसलिए अब यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है। अतः मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

342
10-2-17

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 07.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर